E-mail: director@cbseacademic.in
Website: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
23211576
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

के.मा.शि.बो./नि. शै./2014 **दिनांक :** 2 **फरवरी, 2014**

परिपत्र संख्या-अका. 05/2014

के.मा.शि.बो. से संबद्धता प्राप्त
सभी संस्थानों के प्रमुख

विषय: वर्ष 2014 में कक्षा IX के लिए जारी की जाने वाली प्रदर्शन रूपरेखा के डिज़ाइन में संशोधन

प्रिय प्रधानाचार्य,

बोर्ड ने परीक्षा उपनियमों में संशोधन किया है जिसके अंतर्गत शिक्षार्थियों के लिए दोनों संकलित परीक्षाओं में बैठना अनिवार्य होगा तथा न्यूनतम 25% अंक सामूहिक रूप से (एस.ए.-I + एस.ए.-II) सत्र 2013-14 के परीक्षा आकलन में प्राप्त करने होंगे।

बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2013-14 से कक्षा IX और कक्षा XI में वाचन एवं श्रवण कौशल आकलन तथा मुक्त पाठ आधारित आकलन को प्रारम्भ किया है। इस आकलन द्वारा शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम से जुड़े संप्रेषण पहलू तथा उच्च स्तरीय संदर्भ समस्या विश्लेषण कौशल पर बल दिया जाएगा।

उपरोक्त प्रयासों के प्रकाश में इस वर्ष कक्षा IX हेतु प्रदर्शन रूपरेखा के डिज़ाइन में थोड़ा-सा बदलाव किया गया है (इस परिपत्र के साथ संलग्न)। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है:

(1) सम्पूर्ण परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोनों संकलित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का संबंधित ग्रेड में रूपान्तरण विद्यमान तरीके से ही किया जाएगा।

(2) ग्रेड 'E1@' या 'E2@' यह दर्शाता है कि शिक्षार्थी ने संकलित आकलनों में अनिवार्य 25% अंक से कम अंक प्राप्त किए हैं।

(3) अंग्रेजी भाषा में वाचन एवं श्रवण कौशल आकलन में प्राप्त ग्रेड संकलित आकलन I तथा II (70+20) का भाग होंगे तथा इसे समग्र ग्रेड के रूप में प्रदर्शन रूपरेखा में दर्शाया जाएगा।

(4) मुक्त पाठ आधारित आकलन (OTBA) संकलित परीक्षा-II के प्रश्न पत्र का भाग होगा। अत: OTBA से संबंधित विषयों में ग्रेड की गणना पृथक् रूप से करने की आवश्यकता नहीं है।

(5) संकलित परीक्षा-II में मुक्त पाठ आधारित आकलन लागू किए गए विषयों (अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान) के प्रश्नपत्रों के लिए कुल 100 अंक होंगे तथा समय सीमा 3-3½ घण्टे होगी। उपरोक्त

विषयों में प्राप्त किए गए कुल अंकों को 0.3 द्वारा गुणा किया जाएगा ताकि इसे संकलित परीक्षा-II के 30% भारांक के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। जिन विषयों में OTBA लागू नहीं है उनके प्रश्नपत्र 90 अंकों के होंगे तथा 30% भारांक गणना का तरीका भी पिछले वर्ष की ही तरह होगा अत: प्राप्तांकों को 3 से भाग करके 30% भारांक की गणना की जएगी।

(6) संकलित परीक्षाओं (एस ए-I तथा एस ए-II दोनों को मिलाकर) में 25% अंक अनिवार्य रूप से प्राप्त करने, वाचन एवं श्रवण कौशल आकलन, मुक्त पाठ आधारित आकलन तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता रूपरेखा (NVEQF) को प्रदर्शन रूपरेखा के पीछे दर्शाए गए अध्ययन की योजना में प्रदर्शित किया गया है।

(7) यदि शिक्षार्थी द्वारा संकलित परीक्षाओं में 25% अनिवार्य अंक प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो ग्रेड E1 या E2 को अपग्रेड नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त सूचना सभी संबद्ध शिक्षकों, शिक्षार्थियों तथा अभिभावकों के लिए है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप संयुक्त निदेशक, श्री अल हिलाल अहमद से दूरभाष-011-23237780 या ईमेल aeoasedof@gmail.com पर संपर्क करें।

भवदीया

डॉ. साधना पाराशर
निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण/नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्स्टिटूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारीयों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
11 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
12 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
13 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
14 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
16 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
17 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.

18 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.

19 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.

20 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव

21 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव

22 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी

23 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव

24 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक

25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

26 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण/नवाचार)